रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2007/पौष 5, 1929
No. 379] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2007/PAUSA 5, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2007

(निर्णायक समीक्षा)

विषय: चीन जन. गण. तथा रूस से फैरो सिलिकॉन के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरूआत ।

सं. 15/19/2005-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. तथा रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फैरो सिलिकॉन (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) जो उपशीर्ष 7202.21 तथा 7202.2100 के अंतर्गत आता है, के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 16.11.2000 की अधिसूचना सं. 28/1/2000-डीजीएडी के तहत प्रकाशित हुए थे और 26.12.2000 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 152/2000 के तहत संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क लगाया गया । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम परिणाम दिनांक 28.5.2001 को घोषित किए और भारत सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 25.01.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 67/2001 के तहत लगाया गया । पाटनरोधी शुल्क 25.12.2005 तक लागू था ।

2. समीक्षा तथा जाँच की शुरूआत हेतु अनुरोध

और यतः प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के 4 वर्षों की समाप्ति पर घरेलू उद्योग को इस आशय का चेतावनी पत्र भेजा गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह जानने के उद्देश्य से कि क्या इस मामले में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने की संभावना है, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के तहत निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने के संबंध में विचार कर रहे हैं और उनसे यह अनुरोध किया गया था, वे इस मामले में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा तथा पाटन, यदि कोई है, से संबंधित प्रमाण और पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने के प्रभाव के संबंध में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें ।

और यतः घरेलू उद्योग ने (मै. इंडियन मैटल्स एंड फैरो एलॉयज लि., भुवनेश्वर तथा मै. वीबीसी फैरो एलॉयज, हैदराबाद) उपरोक्त विषय पर निर्णायक समीक्षा की शुरूआत हेतु याचिका प्रस्तुत कर दी थी । मामले की जाँच की गई और व्यापक जाँच के बाद यह उचित समझा गया कि संबद्ध देशों से फैरो सिलिकॉन पर लागू पाटनरोधी शुल्क पर पुनर्विचार न किया जाए । निर्णायक समीक्षा की शुरूआत न करने का प्रमुख कारण यह था कि घरेलू उद्योग के इस अनुरोध, कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या दोबारा होने की संभावना है, हेतु कोई प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य नहीं था ।

तत्पश्चात् समीक्षा हेतु अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं. 16893/06 के रूप में याचिका दायर की और दिनांक 1.11.2007 के निर्णय के तहत माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में निर्णायक समीक्षा की जानी अपेक्षित है ।

3. शुरूआत

माननीय न्यायालय ने कहा कि

(क) निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है और इसके विरूद्ध प्रतिवादियों के दावे को अस्वीकार किया जाता है ।

(ख) निर्णायक समीक्षा नियमावली के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी चाहिए ।.

और प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे नियम 23 के तहत समीक्षा की शुरूआत हेतु याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार करें । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी यह जाँच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्ति की स्थिति में रूस और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित फैरो सिलिकॉन के आयात पर पाटन तथा क्षति के जारी रहने या दोबारा होने की संभावना है, एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं । माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार समीक्षा की समाप्ति तक संबद्ध वस्तु के आयात को 01.01.2008 से अनंतिम माना जाएगा ।

4. विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद फैरो सिलिकॉन है । फैरो सिलिकॉन लोहे तथा सिलिकॉन का मिश्रण है जिसमें अशुद्धताओं के रूप में कैल्शियम, अल्यूमीनियम, कार्बन आदि होता है । फैरो सिलिकॉन में सिलिकॉन अधिक मात्रा में होता है । मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल इस्पात तथा मिश्रित इस्पात के उत्पादन में डीऑक्सीडाइजर के रूप में होता है । फैरो सिलिकॉन को उत्पाद के वास्तविक आकार के अनुसार व्याख्यायित किया जाता है । सामान्यतः फैरो सिलिकॉन का आकार उत्पाद के बाह्य व्यास के मिलीमीटर के अनुसार होता है । उत्पाद का उत्पादन तथा बिक्री भार (कि.ग्रा. या मी. टन) के अनुसार होती है ।

फैरो सिलिकॉन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 7202.21 तथा 7202.2100 के अंतर्गत वर्गीकृत है ।

5. प्रक्रिया

(क) **शामिल देश**- मौजूदा जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. तथा रूस हैं;

(ख) **जाँच अवधि-** वर्तमान समीक्षा हेतु जाँच अवधि 01 अक्तूबर, 2006 से 30 सितम्बर, 2007 तक होगी ।

(ग) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

(घ) **सूचना प्रदान करना**

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जाँच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है ।

(ड.) **समय-सीमा :** वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

(च) **अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :** नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्ष के अनुसार ऐसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उसे इसका कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

(छ) **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :** नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं ।

(ज) **उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग :** यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जॉच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉच परिणाम दर्ज करर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2007

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review of anti-dumping duty imposed against import of Ferro Silicon from China PR and Russia.

No. 15/19/2005-DGAD.—The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Ferro Silicon (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Russia & China PR (hereinafter referred to as subject countries) falling under sub-heading 7202.21 & 7202.2100. The preliminary findings were published vide Notification No.28/1/2000-DGAD dated 16th November 2000 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No.152/2000-Customs dated 26th December 2000. The Designated Authority came out with final finds on 28th May 2001 and definitive anti dumping duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No.67/2001-Customs dated 25th Jun 2001. The anti dumping duty was applicable upto 25th December, 2005.

2. Request for Review and Initiation

AND WHEREAS following the completion of 4 years of the anti dumping duty imposed, an alert letter was sent to the domestic industry stating that the Designated Authority is contemplating to undertake Sunset Review under Section 9A(5) of Customs Act with a view to ascertain whether the cessation of the anti dumping duty in this case is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they were requested to

give full information regarding extent of imports from subject countries and evidence relating to dumping, if any, and impact of cessation of the anti dumping duty in this case.

AND WHEREAS the domestic industry (M/s. Indian Metals & Ferro Alloys Ltd, Bhubaneshwar and M/s. VBC Ferro Alloys, Hyderabad) had filed the request for initiation of sunset review on the above subject. The matter was examined and after detailed examination, it was considered appropriate not to review the anti dumping duty imposed on Ferro Silicon from subject countries. The main reasons for not initiating the sunset review were the fact that there was no prima facie evidence borne out of the submission of the domestic industry that cessation of anti dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicants for review thereafter filed a petition in Hon'ble High Court of Delhi as Writ Petition (Civil) No.16893/06 and as per direction of the Hon'ble Court vide judgment dated 1.11.2007 Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the Rules.

3. Initiation

The Hon'ble Court held that

(a) A Sunset Review is mandatory and the contention of the respondents to the contrary is rejected
(b) A Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the rules

and directed the Authority to consider the request of the applicants to initiate the review under Rule 23. Pursuant to the said Order of the Hon'ble High Court, the Authority hereby initiate this review investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on imports of ferro silicon originating in or exported from Russia and China PR in the event of cessation of the duty. Pending completion of the review as per the direction of the Hon'ble Court, the import of the subject goods shall be assessed as provisional w.e.f. 01st January, 2008.

4. Product under consideration

The product under consideration is Ferro Silicon. Ferro Silicon is an alloy of Iron and Silicon containing Calcium, aluminium, carbon etc as impurities.

Silicon constitutes a major proportion in Ferro Silicon. It is primarily used as deoxidiser in the production of steel and alloy steel.

Ferro Silicon is described in terms of physical size of the product. Generally, the size of the ferro silicon is described in terms of millimeter of the outer dia of the product. The product is produced and sold in terms of weight (kg or MT).

Ferro Silicon is classified under custom sub-heading Nos. 7202.21 and 7202.2100 of Chapter 72 of Custom Tariff Act, 1975.

5. Procedure

a) **Countries involved**: The countries involved in the present review is the Peoples Republic of China and Russia.

b) **Period of Investigation**: The period of investigation for the purpose of the present Review is 1st October, 2006 to 30th September, 2007.

c) The provision of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule Supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

d) Submission of information- The exporters in subject countries, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigations in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

e) Time Limit – Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40

days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

f) **Submission of information on Non-confidential basis** – In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

g) **Inspection of Public File** – In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

h) **Use of facts available** – In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.